



4

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर बेन्च इन्दौर म0प्र0

C.F. 24-5-12

1. श्रीमान राजस्व मण्डल  
2. श्रीमान ग्वालियर बेन्च  
3. श्रीमान इन्दौर

R-1675-PBR/12

गुडडी बाई पति विक्रम सिंह जाति राजपुत  
गोकुल पिता विक्रम सिंह जाति राजपुत  
दोनो निवासीयान ग्राम पिपल्या तहसील व जिला  
धार म0प्र0

-----निगरानीकर्ता

बनाम

1. दरियाव सिंह पिता बापुसिंह राजपुत आयु 60 वर्ष
2. कल्याण सिंह पिता बापुसिंह राजपुत आयु 58 वर्ष  
फोट वारिस श्रीमति विष्णुबाई पति स्वं0 जादुसिंह  
शुभम आयु 12 वर्ष व मरलीसिंह आयु 9 वर्ष दोनो  
पिता स्वं. जादुसिंह ना0पा0 माता श्रीमति विष्णुबाई  
पति स्वं0 जादुसिंह
3. अमरसिंह पिता बुला जाति राजपुत आयु 80 वर्ष  
सभी का धंधा खेती सभी निवासीयान ग्राम पिपल्या  
तहसील व जिला धार म0प्र0

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भु0रा.संहिता के तहत ।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की और से निवेदन है कि :-

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय धार के न्यायालय में रा0 प्र0क0 प्रस्तुत किया था जिसमें रा0 प्रकरण क्रमांक 21/20-11/अ 27 पर दर्ज होकर निगरानी कर्ता के पक्ष में आदेश दिनांक 22/11/2011 को आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिप्रार्थीगण ने अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय धार में प्रस्तुत की गई । जो अपील क्रमांक 29/अपील/2011-2012 पर दर्ज होकर दिनांक 16/1/2012 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) द्वारा यथार्थिति का आदेश प्रदान किया गया जिससे दुखी व असंतुष्ट होकर निम्नलिखित कारणो पर यह निगरानी अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है ।

आधार निगरानी

1. यह कि श्रीमान विद्वान अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय धार का आदेश विधिविधान व न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

.....निरंतर 2 पर

श्रीमान ग्वालियर बेन्च

गोकुल

श्रीमान इन्दौर

R.1675-PBR/12 धार  
बुडडीवाई / दरियावाँह

22/2/17

अवेदिका को भेजा गया सूचना-  
पत्र [पत्रि द्वारा] तामीन। लीन वार/ पुकार  
अवेदिका को लगवायी गयी, फिर भी कोई  
उपस्थित नहीं। अवेदिका की अनुपस्थिति  
में प्रकाश रुद्रम देवी में रजारीज किया  
जाना है।

अवेदिका

अवेदिका

के  
मांक  
मांक  
रुद्र  
वार  
र्ज  
)  
र